न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

प्रकरण सः 03 / 2025
प्रकरण दायर दिनांक 23.05.2025
निर्णय दिनांक 29.08.2025

उनवान

1. गोपाल दत्तक पुत्र हरसहाय उम्र 46 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा
2. तुलसा देवी उम्र 85 साल पत्नि भूडमल जाति ब्राहम्ण निवासी आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

प्रार्थीः–

बनाम

1. अजय पुत्र कजोडमल
2. गोपाल पुत्र कजोडमल
3. देशराज पुत्र कजोडमल
4. धर्मराज पुत्र कजोडमल
5 रामबाबू पुत्र कजोडमल
6 रामस्वरूप पुत्र कजोडमल

समस्त जाति माली निवासी कजोड सरपंच की ढाणी, जस्सापाडा तहसील बांदीकुई

7. मनीष पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ०धारा 151 सीपीसी

निर्णय दिनांक 4.09.2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अ0 धारा 151 सीपीसी का न्यायालय हाजा में जर्ये वकील निम्न पेश हैः – रामा जस्सापाडा तहसील बसवा मे स्थित काश्त भूमि खाता संख्या नया 43 पुराना 37 के खसरा नम्बर 645 रकबा 1.27 है0 बारानी एक खसरा नम्बर 646 रकबा 0.01 है० गै०मु० रास्ता, खसरा नम्बर 659 रकबा 0.02 है० चा० दो, खसरा नम्बर 660 रकबा 1.09 है0 चा० 2 कुल किता खसरा नम्बरान 5 रकबा कुल 2.39 है० मे प्रार्थी गोपाल का 1/6 हिस्सा तथा प्रार्थी तुलसी देवी का हिस्सा 2/3 है तथा अप्रार्थीगण अजय, गोपाल, देशराज, धर्मराज, रामबाबू तथा रामस्वरूप का प्रत्येक का हिस्सा 1/36 है। वह कि रामा जस्सापाडा तहसील बसवा मे स्थित काश्त भूमि खाता संख्या नया 41 पुराना 34 के खसरा नम्बर 748 रकबा 1.72 है० चाह०, खसरा नम्बर 750 रकबा 1.30 है० चा० एक, खसरा नम्बर 751 रकबा 0.32 है० बंजर कुल किता खसरा नंबर 3 रकबा कुल 3.34 है0 मे प्रार्थी गोपाल का हिस्सा 1/12 तथा प्रार्थी तुलसी देवी का हिस्सा 5/6 है तथा

सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा० 6 का प्रत्येक हिस्सा 1/72 है। पक्षकारान मे अभी तक उपरोक्त वर्णित आराजी का तकास्मा नही हुआ है एवं मन समाई से अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है, के संबध मे वाद भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 3–3–2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 645, 646, 659, 660 किता 4 कुल रकबा 2.39 है०, खसरा नम्बर 748, 750, 751 किता 3 रकबा 3.34 है० के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये है जो आज दिन तक प्रभवशील है। वाद के विचाराधीन रहने के बावजूद दिनांक 11–4–2022 को रामस्वरूप पुत्र कजोडमल द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 मनीष कुमार को गलत प्रकार से बेचान कर दिया एवं राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कर दिया। जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 7 मनीष कुमार अन्य अप्रार्थीगण से मिलकर साजकर वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने की समय –समय पर कुचेष्टा करता रहा है एवं अन्य सहखातेदार को बहकाकर दिनांक 15.05.2025 से वादग्रस्त आराजी पर नींव खोदकर निर्माण कार्य करने की कुचेष्टा की जा रही है। प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना बांदीकुई मे भी उक्त लोगो के संबंध मे रिपोर्ट प्रस्तुत की थी लेकिन अप्रार्थीगण की पुलिस थाना बांदीकुई से सांठ गांठ होने के कारण उनके द्वारा यह कहकर प्रार्थी को वापिस भेज दिया कि कोर्ट से हमारे नाम रूकवाने के आदेश कराकर लाओ जिस पर प्रार्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक दौसा को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा बांदीकुई थाने को आदेशित फरमाया गया कि वो अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमावे जिस पर पुलिस थाना बांदीकुई के कांस्टेबल मौके पर गये और उनके द्वारा अप्रार्थीगण से काम को रुकवाया लेकिन कांस्टेबल के वापिस आने के बाद अप्रार्थीगण द्वारा पुनः निर्माण कार्य चालू कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजी पर न्यायालय आदेश की अवहेलना कर निर्माण कार्य किये जाने के संबंध मे प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा पुलिस थाना बांदीकुई को दिनांक 16–5–2025 को आदेश फरमाया कि वो तथ्यो की जांच कर कार्यवाही करे। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को न्यायालय की अवहेलना कर निर्माण कार्य करने के संबध मे निवेदन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर स्थगन आदेश है वो कोई निर्माण कार्य आदि नही करे जिस पर अप्रार्थीगण नाराज हो गये एवं प्रार्थीगण व उसके परिवारजन से गाली गलौच करने लगे मारपीट करने पर आमादा है मौके पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गये जिनके द्वारा बीच बचाव कराया गया। अप्रार्थीगण सरे आम धमकी दे रहे है कि वो किसी न्यायालय के आदेश को नहीं मानते है न्यायालय हमारा कुछ नही बिगाड सकता और हम वादग्रस्त आराजी मे अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य करेगे। प्रार्थीगण जो चाहे सो कर ले हमारा कोई कुछ नही बिगाड सकता इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय आदेश की धज्जिया उडाकर वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर निर्माण कार्य कर रहे है जिससे प्रार्थीगण एवं परिवारजन के समक्ष गंभीर संकट पैदा हो गया है एवं न्यायालय की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अवहेलना के लिए उन्हे कारावास से दण्डित फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना करने वाले अप्रार्थीगण को कारावास की सजा से दण्डित फरमाने की कृपा करे एवं किये जा रहे निर्माण कार्य को अविलम्ब रूकवाने की कृपा करे एवं किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त करने की कृपा करे।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर का तलबी अप्रार्थीगण की गई 2,5,7 बावजुद तलबी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या नं. 01, 03, 04 के द्वारा निम्न प्रकार जवाब पेश किया गयाः– प्रार्थना–पत्र का पैरा सं. 01 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है। प्रार्थना–पत्र का पैरा सं. 02 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है। प्रार्थना–पत्र का पैरा सं. 03 में वर्णित तथ्य गलत है अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा मनगढ़न्त एवं काल्पनिक आधारों पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त पैरा में वर्णित दिनांक 15.05.2025 की घटना काल्पनिक एवं झूठी है। यही कारण है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि किस अप्रार्थीगण द्वारा नींव खोदकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रार्थना–पत्र का पैरा सं. 04 में गलत है अस्वीकार है। प्रार्थना–पत्र का पैरा सं. 05 में गलत है अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा उक्त पैरा में वर्णित समस्त तथ्य बनावटी, काल्पनिक एवं झूठे दर्ज किये है जो अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना कभी भी नहीं की गई है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा हमेशा ही न्यायालय के आदेशों का सम्मान किया जाता रहा है। प्रार्थना–पत्र कानूनन पोषणीय नहीं है। कानूनन धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र को अलग से दर्ज होने और अलग से सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थना–पत्र धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को अलग से दर्ज होने और अलग से सुनवाई का कोई प्रावधान नही है। प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी वादपत्र में पेश हो सकता है। अलग से उसके पेश होकर अलग से विचारण करने का कानूनन कोई प्रावधान नहीं है। अतएव जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की शामलाती भूमि है। जिसके तकास्मे का वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन होकर निर्णित हो चुका है। शामलाती भूमि में किसी सहखातेदार को उसके हिस्से में निर्माण करने से नही रोका जा सकता है। जहां तक वादग्रस्त भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा होने के बाद नीव खोदने का प्रश्न है इसके संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ पेश नही किये गये है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही है। प्रार्थना पत्र धारा 151 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। मेरे द्वारा आज दिनांक 04.09.2025 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीलम करोल)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
बांदीकुई

कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गोपाल बनाम अजय	

20/8/25
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। गत आदेश की पालना में दिनांक 22/8/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर, रीडर

22/8/25
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। गत आदेश की पालना में दिनांक 1/9/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर, रीडर

1/9/25
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। गत आदेश की पालना में दिनांक 4/9/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर, रीडर

4/9/2025
पत्रावली पेश हुई। वकीलान उभय पक्ष अ[illegible] आवश्यक पैरवी नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई